संख्या-8/2023/598/63-व0उ0-2023-81(एच)/2022

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः 06 अप्रैल, 2023

विषयः- मुख्यमंत्री हैण्डलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना के दिशा-निर्देश।

महोदय,

प्रदेश के पावरलूम उद्योग के विकास के लिये पूर्व में संचालित जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग विकास योजना में परिलक्षित खामियों को दूर कर नई योजना के सृजन की आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व योजना में बदलाव करते हुये मुख्यमंत्री हैण्डलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना के नाम से नई योजना चलायी जानी है। इस योजना में मात्र व्यक्तिगत हथकरघा/पावरलूम बुनकर को आच्छादित किया जायेगा। मुख्यमंत्री हैण्डलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना के दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :-

2- प्रदेश में हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के भविष्य के रोजगार को दृष्टिगत रखते हुए हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग को प्रोत्साहित किया जाना नितान्त आवश्यक है। पुरानी तकनीक एवं परम्परागत हथकरघा एवं पावरलूमों के द्वारा उत्पादित वस्त्रों की गुणवत्ता आधुनिक तकनीक की अपेक्षा अच्छी नहीं रहती है तथा उत्पादन भी कम होता है। अच्छी गुणवत्ता के वस्त्र उत्पादित होने से तथा उत्पादन में वृद्धि होने से हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों की आर्थिक स्थित में सुधार लाने हेतु उच्च तकनीक वाले हथकरघा एवं पावरलूम स्थापित कराना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को उन्नत किस्म के हथकरघा एवं पावरलूम प्रदान कर, उनके पुराने परम्परागत हथकरघा एवं पावरलूम को आधुनिक हथकरघा एवं पावरलूमों में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान किया जाना है। इसके अतिरिक्त इस उद्योग में आने के इच्छुक नव युवकों एवं नव युवतियों को इस रोजगार से जोड़कर नया रोजगार सृजन कराया जाएगा।

3- प्रदेश के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों द्वारा संचालित पुराने एवं परम्परागत हथकरघा एवं पावरलूम के स्थान पर उच्चीकृत हथकरघा एवं पावरलूम स्थापित कराया जाना है। पावरलूम बुनकरों के आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये उन्हें आधुनिक पावरलूम संचालन हेतु प्रशिक्षित कराया जायेगा। हथकरघा एवं पावरलूम बुनकर वर्तमान भारतीय बाजार एवं वैश्विक बाजार की मॉग के अनुरूप नये फैशन के परिवेश में नई डिजाइन एवं नये कलर कम्बीनेशन के वस्त्रों का उत्पादन कर सके इस उदेश्य से प्रदेश में परम्परागत हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग को आधुनिक हथकरघा एवं पावरलूम में परिवर्तित कराने एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजन कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पावरलूम एवं हैण्डलूम उद्योग विकास योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा। प्रदेश के पावरलूम बुनकर को नवीन पावरलूम/सेमीआटोमैटिक/आटोमैटिक पावरलूम चलाने का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा, जिससे उन्नत तकनीक के नवीन पावरलूम/सेमीआटोमैटिक/आटोमैटिक पावरलूम स्थापित कर अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकेगे। हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को अधिक से अधिक रोजगार सृजित कराकर उनके सामाजिक व आर्थिक जीवन स्तर में सुधार कराने हेतु योजना का संचालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के उन समस्त पावरलूम एवं हथकरघा बुनकरों के लिये संचालित की जायेगी जो पावरलूम/हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में निरन्तर अपना योगदान देते आ रहे हैं। यह योजना 05 वर्षो के लिये होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जायेगा।

5- प्रदेश के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों की वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए योजना को तीन घटकों/मदों में बॉटा गया है :-

(I) आधुनिक पावरलूम संचालन तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(II) उन्नत किस्म के हथकरघा एवं पावरलूम की स्थापना:-

(A हथकरघा (फ्रेम अथवा पिटलूम आवश्यकतानुसार)

(B नवीन पावरलूम/सेमीआटोमैटिक/आटोमैटिक पावरलूम सहवर्ती उपकरण सहित।

(III) हथकरघा अथवा पावरलूम कार्यशाला का निर्माण

(I) <u>आधुनिक पावरलूम तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम:-</u>

योजनान्तर्गत व्यक्तिगत पावरलूम बुनकरों को आधुनिक पावरलूम के संचालन, आधुनिक डिजाइन एवं रंग संयोजन तकनीकी आदि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्था जैसे वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थायें पावरलूम सर्विस सेन्टर अथवा निट्रा से कराया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल धनराशि रू0 5,000/- व्यय होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण, योजना के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु पोर्टल विकसित किया जायेगा।

(II) <u>उन्नत किस्म के हथकरघा एवं पावरलूम की स्थापना :-</u>

योजनान्तर्गत प्रदेश के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकर अपनी आवश्यकतानुसार हथकरघा अथवा नवीन पावरलूम/सेमीआटोमैटिक/आटोमैटिक पावरलूम दोनो में से किसी एक का (जो जिससे सम्बन्धित है) लाभ प्राप्त कर सकता है। पावरलूम बुनकर को नवीन/सेमीआटोमैटिक/ आटोमैटिक पावरलूम में से किसी एक ही श्रेणी के पावरलूम के लिये ही लाभ अनुमन्य होगा।

(A <u>हथकरघा (फ्रेमलूम अथवा पिटलूम क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार):-</u>

पिटलूम का अनुमानित मूल्य रू0 25,000/- है जिसपर 80 प्रतिशत अथवा रू0 20,000/- जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा एवं शेष रू0 20 प्रतिशत धनराशि रू0 5,000/- या वास्तविक क्रय हेतु अनुदान के अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी बुनकर द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन की जायेगी। फ्रेमलूम या पिटलूम (जैकार्ड सह उपकरणो सहित) का अनुमानित मूल्य रू0 40,000/- है जिस पर 75 प्रतिशत अथवा रू0 30,000/- जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा एवं शेष् 25 प्रतिशत धनराशि रू0 10,000/- या वास्तविक क्रय हेतु अनुदान के अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी बुनकर द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन की जायेगी। एक बुनकर उपर्युक्त विकल्पों मे से किसी एक श्रेणी के अधिकतम 02 हथकरघा क्रय करने हेतु शासकीय अनुदान प्राप्त कर सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजना का वित्तीय स्रोत (फण्डिंग पैटर्न हथकरघा बुनकरों के लिए)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम	लाभार्थी	योजना का घटक	लूम संख्या	निर्धारित दर प्रति लूम	राज्य का अनुदान	लाभार्थी अंश
1	2	3	4	5	6	7
1	व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर	हथकरघा आपूर्ति (पिटलूम सह उपकरण सहित)	1	0.25	0.20 अथवा (80%) जो भी कम हो।	0.05 (20%) अथवा शेष धनराशि।
			2	0.50	0.40 अथवा (80%) जो भी कम हो।	0.10 (20%) अथवा शेष धनराशि।
		फ्रेमलूम या पिटलूम जैकार्ड सहित	1	0.40	0.30 अथवा (75%) जो भी कम हो।	0.10 (25%) अथवा शेष धनराशि।
			2	0.80	0.60 अथवा (75%) जो भी कम हो।	0.20 (25%) अथवा शेष धनराशि।

(B) पावरलूम (नवीन पावरलूम/सेमी आटोमेटिक पावरलूम/आटोमेटिक पावरलूम)

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 03 श्रेणियों मे से किसी श्रेणी में लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तो के अधीन पावरलूम क्रय करने की सुविधा प्रदान की जायेगी :-

(a) <u>नवीन पावरलूम :-</u>

नवीन पावरलूम का अनुमानित बाजार मूल्य रू0 1,25,000/- है। नवीन पावरलूम क्रय करने हेतु प्रति पावरलूम रू0 75,000/- अथवा 60 प्रतिशत जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा एवं शेष 40 प्रतिशत धनराशि रू0 50,000/- या स्थापित करने में अतिरिक्त धनराशि लाभार्थी पावरलूम बुनकर द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। यदि बुनकर अपने निजी स्रोत से अपना अंश वहन करने में सक्षम नहीं है तो बुनकर बैंक से 20 प्रतिशत रू0 25,000/- का ऋण प्राप्त कर अपना अंश लगा सकता है। बुनकर के पास स्वयं का स्रोत न होने पर सम्पूर्ण 40 प्रतिशत बैंक ऋण लिया जा सकता है। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर को अधिकतम 02 नवीन पावरलूम क्रय करने हेतु शासकीय अनुदान प्रदान किया जायेगा।

(b) <u>सेमी आटोमेटिक पावरलूम:-</u>

सेमीआटोमैटिक पावरलूम का अनुमानित बाजार दर रू0 1,50,000/- है। व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर को सेमीआटोमैटिक पावरलूम खरीद करने हेतु रू0 90,000/- प्रति पावरलूम अथवा (अनुमानित मूल्य का 60 प्रतिशत) जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। शेष् धनराशि रू0 60,000/- अनुमानित मूल्य का 40 प्रतिशत) अथवा पावरलूम के वास्तविक क्रय हेतु अनुदान के अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन की जायेगी। यदि बुनकर अपने निजी स्रोत से अपना अंश वहन करने में सक्षम नहीं है तो वह बैंक से ऋण प्राप्त कर अपना अंश लगा सकता है। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर को अधिकतम 02 सेमी आटोमेटिक पावरलूम क्रय करने हेतु शासकीय अनुदान प्रदान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(C) <u>आटोमेटिक पावरलूम (शटललेस लूम/रैपियर लूम) :-</u>

आटोमैटिक पावरलूम/शटललेस लूम/रैपियर लूम का अनुमानित बाजार मूल्य रू0 5,00,000/- प्रति पावरलूम है। पावरलूम बुनकरों को आटोमैटिक पावरलूम/शटललेस लूम/रैपियर लूम क्रय करने हेतु रू0 3,00,000/- अथवा 60 प्रतिशत जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। रू0 1.00 लाख धनराशि बैंक से ऋण अनिवार्य एवं रू0 1.00 लाख (20 प्रतिशत) बुनकर अंश, यदि बुनकर अपना अंश लगाने में सक्षम नही है तो वह (40 प्रतिशत) अर्थात रू0 2.00 लाख अथवा आवश्यकतानुसार बैंक से ऋण ले सकता है। यह सुविधा एक बुनकर को एक आटोमेटिक पावरलूम क्रय हेतु प्रदान किया जायेगा:-

<u>योजना का वित्तीय स्रोत (फण्डिंग पैटर्न पावरलूम बुनकरों के लिए)</u> (धनराशि लाख रू0 में)

क्रम	लाभार्थी	योजना का घटक	लूम संख्या	निर्धारित दर प्रति लूम	राज्य का अनुदान	लाभार्थी अंश	बैंक ऋण
1	2	3	4	5	6	8	7
1	व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर	1- आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण कार्यकम		0.05	0.05	-	-
		2- नवीन पावरलूम सहवर्ती उपकरण सहित	1	1.25	0.75 अथवा (60%) जो भी कम हो।	0.25 (20%) स्वयं	0.25 (20%) स्वयं या बैंक ऋण अथवा आवश्यकतानुसार अनुदान के अतिरिक्त सम्पूर्ण वांछित धनराशि बैंक ऋण से।
			2	2.50	1.50 अथवा (60%) जो भी कम हो।	0.50 (20%) स्वयं	0.50 (20%) स्वयं या बैंक ऋण अथवा आवश्यकतानुसार अनुदान के अतिरिक्त सम्पूर्ण वांछित धनराशि बैंक ऋण से।
		3- सेमीआटोमेटिक पावरलूम	1	1.50	0.90 अथवा (60%) जो भी कम हो।	0.30 (20%) स्वयं	0.30 (20%) स्वयं या बैंक ऋण अथवा आवश्यकतानुसार अनुदान के अतिरिक्त सम्पूर्ण वांछित धनराशि बैंक ऋण से।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			2	3.00	1.80 अथवा (60%) जो भी कम हो।	0.60 (20%) स्वयं	0.60 (20%) स्वयं या बैंक ऋण अथवा आवश्यकतानुसार अनुदान के अतिरिक्त सम्पूर्ण वांछित धनराशि बैंक ऋण से।
	01 आटोमेटिक पावरलूम	4- आटोमेटिक पावरलूम (शटललेस लूम/ रैपियर लूम सह उपकरण सहित)	1	5.00	3.00 अथवा (60%) जो भी कम हो।	1.00 (20%) स्वयं	1.00 (20%) अनिवार्य अथवा आवश्यकतानुसार अनुदान के अतिरिक्त सम्पूर्ण वांछित धनराशि बैंक ऋण से।

6- हथकरघा अथवा पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला का निर्माण :- योजनान्तर्गत हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के लिये कार्यशाला का निर्माण कराया जाना है। कार्यशाला निर्माण हेतु लाभार्थी बुनकर के पास आवश्यक भूमि/स्थान होना चाहिये। इसकी पुष्टि सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा द्वारा स्थलीय सत्यापन कर की जायेगी कि लाभार्थी बुनकर के द्वारा दर्शायी गयी भूमि/स्थान स्वयं की है अथवा पट्टे पर दी गई है। इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित लाभार्थी बुनकर से नोटरी शपथ पत्र पर लिया जायेगा। हथकरघा की कार्यशाला स्थापना हेतु न्यूनतम 120 वर्गफुट प्रति हथकरघा अधिकतम 02 हथकरघा हेतु 240 वर्गफुट; नवीन पावरलूम/सेमी आटोमेटिक पावरलूम हेतु न्यूनतम 250 वर्गफुट प्रति पावरलूम अधिकतम 02 पावरलूम हेतु 500 वर्गुफट एवं आटोमेटिक पावरलूम की कार्यशाला हेतु 250 वर्गफुट न्यूनतम क्षेत्रफल होगा।

व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर हेतु रू0 80 हजार, व्यक्तिगत नवीन एवं सेमीआटोमेटिक पावरलूम हेतु अधिकतम रू0 1.50 लाख एवं व्यक्तिगत आटोमेटिक पावरलूम कार्यशाला हेतु रू0 1.00 लाख अनुदान निम्नवत दिया जा सकेगा :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	**मद का नाम**	**राज्य का अनुदान**	**बुनकर अंश**
1	हथकरघा हेतु कार्यशाला	0.40 प्रति हथकरघा अधिकतम 0.80	बुनकर के स्वामित्व वाली भूमि/स्थान एवं निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय की धनराशि।
2	नवीन एवं सेमीआटोमेटिक पावरलूम हेतु कार्यशाला	0.75 प्रति पावरलूम अधिकतम 1.50	
3	आटोमेटिक पावरलूम हेतु कार्यशाला	1.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- <u>लाभार्थी की पात्रता:-</u>

(i) योजनान्तर्गत प्रदेश के ऐसे व्यक्तिगत हथकरघा/पावरलूम बुनकर जो पुराने हथकरघा/ पावरलूम पर अपने घर पर कार्य कर रहे हों अथवा ऐसे हथकरघा/पावरलूम बुनकर भी पात्र होगे जो दूसरे के यहाँ हथकरघा/पावरलूम पर बुनाई का कार्य कर रहे हो एवं उनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो और वह योजना का लाभ लेने की इच्छा रखता हो एवं योजना के अनुरूप स्वयं का अंशदान लगाने में सक्षम हो तथा ऐसे नवयुवक एवं नवयुवतियाँ इस उद्योग में अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक हों तथा अपना अंश लगाने मे सक्षम हो योजना के लिये पात्र होगें।

(ii) <u>लाभार्थी हथकरघा/पावरलूम बुनकर की पात्रता:-</u>

1- हथकरघा/पावरलूम बुनकर की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और बुनाई कार्य से भिज्ञ हो अथवा अपना नया रोजगार स्थापित करना चाहता हो।

2- बुनकर पावरलूम वस्त्र उत्पादन में कार्यरत हो अथवा इस क्षेत्र में नया व्यवसाय करने का इच्छुक हो।

3- पावरलूम बुनकर के पास बुनकर परिचय पत्र/विद्युत विभाग द्वारा निर्गत पावरलूम कनेक्शन का प्रमाण हो (नये स्वरोजगार के लिये लागू नही)।

4- पावरलूम बुनकर/इच्छुक युवक/युवती के पास आधार कार्ड/फोटोयुक्त वोटर कार्ड होना चाहिए एवं सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र होना चाहिये।

5- कार्यशाला हेतु भूमि/स्थान स्वयं लाभार्थी बुनकर के स्वामित्व/कब्जे की होनी चाहिए।

8- **योजनान्तर्गत् बजट व्यवस्था एवं लाभार्थियों को धनराशि वितरण की व्यवस्था :-**

1- योजना के क्रियान्वयन हेतु हथकरघा/पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराने के लिये आगामी वित्तीय वर्षो के लिये धनराशि की व्यवस्था बजट के अन्तर्गत करायी जायेगी।

2- योजना के क्रियान्वयन हेतु मदवार/लाभार्थीवार अनुदान वितरण करने की व्यवस्था निम्नवत होगी :-

(क) **<u>प्रशिक्षण मद :-</u>** इस मद की धनराशि स्वीकृत लाभार्थी की संख्या के सापेक्ष प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था निट्रा/पावरलूम सर्विस सेन्टर को सीधे की जायेगी।

(ख) **<u>हथकरघा/पावरलूम की खरीद :-</u>** हथकरघा/पावरलूम लाभार्थी को हथकरघा/पावरलूम आपूर्ति करने वाली संस्था, आपूर्तिकर्ता, निर्माता का चयन करने का अधिकार होगा। आपूर्तिकर्ता संस्था से बिल प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर अनुदान धनराशि का 75 प्रतिशत अग्रिम के रूप में लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा। बुनकर अपना अंश आपूर्तिकर्ता को भुगतान कर हथकरघा/पावरलूम स्थापित करायेगा। शेष 25 प्रतिशत अनुदान की धनराशि सत्यापन के उपरान्त भुगतान की जायेगी।

(ग) **<u>कार्यशाला निर्माण :-</u>** कार्यशाला निर्माण हेतु निर्धारित अनुदान की धनराशि 02 किश्तों में क्रमश: 60:40 की दर से भुगतान की जायेगी।

9- **<u>मण्डल स्तरीय प्रोजेक्ट स्वीकृति समिति :-</u>**

1-	मण्डलायुक्त	-	अध्यक्ष
2-	संयुक्त आयुक्त उद्योग	-	सदस्य
3-	सम्बन्धित जनपद के रेशम/खादी ग्रामोद्योग/उद्योग विभाग के अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि -	-	सदस्य
4-	परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा	-	सदस्य/सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- योजना से सम्बन्धित (एस0ओ0पी0)

योजना का प्रारूप एवं स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एस0ओ0पी0) पृथक से आयुक्त एवं निदेशक स्तर से निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 8/2023/598/ (1)/63व03ठ-2023 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- विकास आयुक्त, हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, मुम्बई।
4- प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।